कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।
Email ID – dfosiwalik@yahoo.co.in Fax No. 0132-2725382 पता–82 राज विहार कालोनी, पेपर मिल रोड
पत्रांकः–2646/22–1 सहारनपुर, दिनांक, 01, मार्च 2019

अधिहरित वाहनों की नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर की **शाकुम्भरी एवं मोहण्ड रेंज के अधिहरित वाहनों का नीलाम दिनांक 25.03.2019 को शाकुम्भरी वन विश्राम गृह परिसर में दोपहर 12.00 बजे किया जायेगा।** इच्छुक केता निश्चित तिथि एवं समय पर नीलामी में भाग ले। उक्त वाहनो को जहां जैसी स्थिति में है, उसी अनुसार नीलाम किया जायेगा।

अधिहरित वाहनों को किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित रेंज में देखा जा सकता है तथा अधिहरित वाहनों की लाटों के विकय के संबंध में नियम व शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय कार्यालय, 82, राज विहार कालोनी, पेपर मिल रोड, सहारनपुर तथा क्षेत्रीय वनाधिकारी कार्यालय, मोहण्ड, शाकुम्भरी तथा बडकला रेंज, बादशाहीबाग से प्राप्त की जा सकती है।

अधिहरित वाहनों की नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1 अधिहरित वाहनों की नीलामी से पूर्व केता को वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी GSTIN एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड की छाया प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। हस्तलिखित अथवा लैटर पैड पर लिखा हुआ GSTIN नम्बर मान्य नही होगा।

2 अधिहरित वाहनों की नीलामी खुली बोली द्वारा की जायेगी। नीलाम से पूर्व केता को आधार कार्ड की छाया प्रति एवं फोटों प्रस्तुत कर, विभाग में अपना पंजीकरण कराना होगा, अन्यथा नीलामी में भाग नही लेने दिया जायेगा।

3 जिन केताओं की ओर विगत वर्षो में कय की गयी लाटो की धनराशि शेष हो या ब्लैक लिस्ट किया गया हो, उन्हें नीलामं में बोली देने की आज्ञा नही दी जायेगी।

4 केताओं को चाहियें कि वे पर्याप्त धनराशि अपने साथ लाये, क्योंकि अधिहरित वाहनों की लाटो की समस्त धनराशि, जिसमें विकय मूल्य, आयकर, जी0एस0टी, स्टाम्प शुल्क, लाट ब्रिकी के तुरन्त बाद लागू दरों के आधार जमा करनी होगी। जमा की गयी धनराशि की पक्की रसीद ई–3 तुरन्त प्राप्त कर लें। नीलामी के लिये सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के बिकी के सामान्य नियम लागू होगें।

5 केताओं को चाहिये कि बोली देने से पूर्व लाटो का भली भांति निरीक्षण कर लें। लाट विकय होने के उपरान्त किसी भी प्रकार की शिकायत निराधार समझी जायेगी।

6 **केताओं को नीलामी में भाग लेने हेतु रू0 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की जमानत/बन्धक धनराशि की एफ0डी0आर0, जो प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर के पदनाम पर बन्धक हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई केता नीलामी मे गडबडी करता है अथवा बोली देकर भाग जाता है, तो उसकी जमानत/बन्धक धनराशि की एफ0डी0आर जब्त कर ली जायेगी।**

7 अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह लाटो की बिकी का कम बदल दे, किसी लाट का नीलाम स्थगित कर दें। कई लाटो को मिलाकर एक ही लाट बना दें या टुकडे कर दें।

8 अधिहरित वाहनों की लाटो में कार्य आदेश लेने के समय केता को पक्की रसीद ई–3 अवश्य दिखानी होगी। पक्की रसीद ई–3 दिखाने पर ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।

9 अधिहरित वाहनों का नीलाम कबाड के रूप किया जायेगा। वाहनों के पंजीयन के सम्बन्ध में प्रभाग स्तर से कोई कार्यवाही नही की जायेगी।

10 किसी भी विवाद की दशा में वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
शिवालिक वन प्रभाग,
सहारनपुर।

Compaq8/R.C./Right Off Vehicals Nilam

पत्रांक– 2646 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिहरित वाहनो की नीलामी सूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करे।

3 मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0, मेरठ।

4 आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

5 वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को अनुमोदनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यवेक्षक के रूप में किसी अधिकारी को नामित करने की कृपा करें।

6 जिलाधिकारी, सहारनपुर।

7 समस्त प्रभागीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

8 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर।

9 जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर।

10 एन0आई0सी0क्लेक्ट्रेट, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिहरित वाहनों की नीलामी सूचना को जिला स्तरीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

11 समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर को नीलाम नोटिस की 10 प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि वृहद प्रसार करें। कृपया यह सुनिश्चित करें कि किसी भी केता से यह शिकायत न मिले कि नीलामी की सूचना उन्हें प्राप्त नही हुयी। नीलाम के आयोजन की समस्त व्यवस्था क्षेत्रीय वन अधिकारी, शाकुम्भरी द्वारा की जायेगी।

12 नोटिस बोर्ड हेतु।

प्रभागीय वनाधिकारी,
शिवालिक वन प्रभाग,
सहारनपुर।

शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर

शाकुम्भरी एवं मोहण्ड रेंज के अधिहरित वाहनों की लाटों की विक्रय सूची

नीलाम दिनांक–25.03.2019 स्थल–वन विश्राम गृह परिसर, शाकुम्भरी

क्र0 सं0	रेंज केस संख्या	लाट संख्या	अधिहरित वाहन का प्रकार एवं संख्या	रेंज/स्थान का नाम (जहां वाहन देखा जा सकता है)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	38/शा/2016–17	79/2018–19	स्कोर्पियों HR37B- 3333	शाकुम्भरी	1–समस्त अधिहरित वाहनों का नीलाम कबाड के रूप में किया जायेगा। 2–अधिहरित वाहनों के पंजीकरण के सम्बन्ध में प्रभाग स्तर से कोई कार्यवाही नही की जायेंगी। 3–सक्षम अधिकारी के बोली स्वीकृत/अनुमोदन के उपरान्त ही वाहन को उठाया जा सकेगा।
2	54/शा/2016–17	80/2018–19	टाटा 407 HR01GA- 0633	शाकुम्भरी	
3	69/शा/2016–17	81/2018–19	टाटा जनून पिकअप HR-58A- 9224	शाकुम्भरी	
4	28/शा/2016–17	82/2018–19	टाटा सुपर ऐस UK08CA- 3678	शाकुम्भरी	
5	33/शा/2016–17	83/2018–19	मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर UP20Y- 6649	शाकुम्भरी	
6	41/शा/2016–17	84/2018–19	टाटा सुपर ऐस UP12T- 7616	शाकुम्भरी	
7	36/शा/2016–17	85/2018–19	टाटा 407 HR-45- 7449	शाकुम्भरी	
8	27/शा/2016–17	86/2018–19	मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर HP17A- 5861	शाकुम्भरी	
9	62, 63/शा/16–17	87/2018–19	बोलेरा मैक्सी ट्रक UK08CA- 5939	शाकुम्भरी	
10	93/शा/2016–17	88/2018–19	टाटा 407 HR-58-1601	शाकुम्भरी	
11	37/शा/2016–17	89/2018–19	अशोका लीलैण्ड HR58B- 8370	शाकुम्भरी	
12	16/शा/2014–15	90/2018–19	टाटा पिकअप 207–UP-K- 6587	डा0भीम राव अम्बेडकर पार्क, कैलाशपुर/ (शाकुम्भरी रेंज)	
13	57/शा/2016–17	91/2018–19	मैक्सी ट्रक UK07CA- 8081	शाकुम्भरी	
14	11/मो/2016–17	92/2018–19	क्वालिस HR-37B- 1906	मोहण्ड	

प्रभागीय वनाधिकारी,
शिवालिक वन प्रभाग,
सहारनपुर।